न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर।

जी0आर0नं0:-869/2020

दाउदनगर थाना कांड संख्या :-345/2020

03.11.2020 उक्त वाद में जप्त ट्रक निवंधन संख्या-**UP53T9010** के स्वामी संतोष कुमार सिंह की ओर से ई-फायलिंग के तहत उपस्थिति पत्र एवं शक्ति पत्र के साथ उपरोक्त वाहन की मुक्ति हेतु आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई । आवेदक की ओर से वाहन की कागजात की छायाप्रति दाखिल किया गया है ।

वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि उक्त वाहन का चालक जमानत पर है । अतः उपरोक्त वाहन को आवेदक के पक्ष में मुक्त किया जाय ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया । उक्त वाद के अनुसंधानक को निर्देश दिया जाता है कि वह मोटरयान निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ इस आशय का प्रतिवेदन दिनांक-23.11.2020 तक समर्पित करें कि उक्त वाहन की आवश्यकता अनुसंधान के दौरान है या नही । कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त आदेश की छायाप्रति सम्बन्धित थाना प्रभारी को भेंजे ।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

पश्चात्

03.11.2020 जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना को निर्देश दिया जाता है कि ट्रक निवंधन संख्या-**UP53T9010** का स्क्रीन प्रतिवेदन दिनांक-23.11.2020 तक समर्पित करें। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त आदेश की छायाप्रति सम्बन्धित जिला परिवहन पदाधिकारी को भेंजे ।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।